"प्रमाणित प्रति राजकार्य हेतु नि: शुल्क जारी"

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2022 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2022/30

अनवानी :- अजमेर खां पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान तेली, साकिन रोजड़ी, तहसील घड़साना।

———अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

## निर्णय

दिनांक : 16.05.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.03.2017, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 7/03 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

मिलान किया

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 7/03 डीएम श्रीगंगानगर बना हुआ है, जिस पर 32/40 बोर राईफल नं. 8815 तथा 32 बोर रिवॉल्वर नं. 41754 दो शस्त्र दर्ज है। शस्त्र लाईसेंस दिनांक 16.08.2016 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 05.08.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 54 दिनांक 30.01.2017 को प्रेषित की है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध सात आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख करते हुए "आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की जाती है" की टिप्पणी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 से अपीलांट का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी। अपील में संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को शस्त्र लाईसेंस सन् 2003 में पूर्ण जांच कर पात्र मानते हुए, जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया गया। अपीलांट के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 के आधार पर जल्दबाजी में बिना जांच किये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलांट एक शांतिप्रिय नागरिक है। अपीलांट के खिलाफ रंजिशवश तथा पार्टीबाजी के कारण मुकदमें पेश किये। अपीलांट ने आज तक शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया। अपीलांट ने गृह विभाग राजस्थान सरकार को शस्त्र लाईसेंस बहाल करने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से गृह विभाग को अवगत करवाने के लिये निर्देशित किय गया। उक्त गृह विभाग के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने सुनवाई करते हुए प्रकरण में यथास्थिति के आदेश पारित कर, नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रमाणित
प्रतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलान किया

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 54 दिनांक 30.01.2017 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध सात आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं तथा थानाधिकारी पुलिस थाना नई मण्डी घड़साना की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2021 के अनुसार कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 3 प्रकरण पेंडिंग कोर्ट व 1 प्रकरण पेंडिंग तफ्तीश होने के कारण "आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की जाती" की टिप्पणी की गयी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्याानपूर्वक अवलोकन किया। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 के अनुसार 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से तीन प्रकरण पेंडिंग कोर्ट है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने भी इन्हीं मुकदमों के मध्यनजर आवेदक को शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है, जो उचित प्रतीत होती है। हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलान किया